

प्रेस नोट

जनपद रामपुर

दिनांक

21.11.2022

twitter-@rampurpolice
@rampurpolice

FB-रामपुर पुलिस

Telegram-

थाना सिविल लाइन:-अभियुक्त को शरण देने में तीन अभियुक्तगण गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद रामपुर श्री अशोक कुमार शुक्ला द्वारा जनपद रामपुर मे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये अभियान के क्रम में तथा श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद रामपुर डा0 संसार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर महोदय श्री अनुज कुमार चौधरी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.11.2022 को थाना सिविल लाईन जनपद रामपुर पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर थाना सिविल लाइन, रामपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 532/2022 धारा 366 भादवि के अभियुक्त एवं अपहृता को 1. फरमान पुत्र सज्जाद अली 2. जरार उर्फ जरयार अली पुत्र सज्जाद अली 3. जुल्फेकार पुत्र सज्जाद अली निवासीगण अहमदनगर जागीर थाना सिविल लाईन रामपुर द्वारा शरण देने के आरोप में गाँधी समाधि से गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी। अभियुक्त सानिब एवं अपहृता की गिरफ्तारी/बरामदगी के प्रयास किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता

1. फरमान पुत्र सज्जाद अली निवासी अहमदनगर जागीर थाना सिविल लाईन रामपुर
2. जरार उर्फ जरयार अली पुत्र सज्जाद अली निवासी अहमदनगर जागीर थाना सिविल लाईन रामपुर
3. जुल्फेकार पुत्र सज्जाद अली निवासी अहमदनगर जागीर थाना सिविल लाईन रामपुर

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 532/2022 वृद्धि धारा 368 भादवि

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार भट्ट

हे0का0 425 शेरपाल सिंह

का0 1154 मनिन्द्र कुमार

का0 940 भूपेन्द्र सिंह

का0 486 विनय कुमार

का0 1111 अमित कुमार